जनगर्जन

वर्ष 24 अंक 7 मासिक नई दिल्ली मार्च 2010 विक्रमी संवत्-2067 प्रधान संपादक: देवब्रत बिश्वास, वार्षिक-शुल्क: 60रुपये

महिला सशक्तिकरण के लिये संसद में ही आरक्षण पर्याप्त नहीं

देवब्रत बिश्वास, महासचिव, अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च का दिन, जब महिला आरक्षण बिल राज्य सभा में पेश हुआ तब 8 और 9 मार्च 2010 को संसद में, विशेष तौर पर राज्य सभा में जो कुछ भी घटित हुआ वह भारतीय संसद का एक ऐतिहासिक क्षण था। इस मुद्दे पर दशकों से बहस चल रही थी विशेषकर 2007 में जब राज्य सभा में पेश किया गया, लेकिन इसके ग्रहण करने के संबंध में कोई चर्चा नहीं किया गया। यह सारी घटना राजनीतिक धूरी में अगर कहा जाये तो 2009 में होने वाले चुनाव से पहले सत्ताधारी कांग्रेस द्वारा खेला गया एक दांव था। विपक्षी दलों ने कांग्रेस पर इसे लेकर सही इल्जाम लगाया था कि कांग्रेस इस बिल को आगे बढ़ाने के प्रति उत्साहित और ईमानदार नहीं है। कांग्रेस हमेशा से ही आम सहमति बनाने का एक खोखला बहाना बनाकर इस बिल को दरकिनार करती रही है। लेकिन इस बार – इस बिल पर खेला गया खेल राज्य सभा में सुरक्षित रूप से पास होने के लिये अनुकुल था। महिला आरक्षण के लिये वामपंथी पार्टियाँ लगातार संघर्ष और मांग कर रही थी, बेशक सरकार पर दबाव बनाने के लिये इसमें लम्बा समय लगा। वामपंथि पार्टियों ने इस बजट (प्रथम) सत्र के आरम्भ से इस बिल को पेश करने के लिये दबाव की अपनी रणनीति बना रखी थी, ताकि यह दुबारा से लम्बे समय के लिये टल न जाये। लेकिन परिस्थतियों में एक नया मोड़ आया जब कुछ सदस्यों ने संसद की कार्यवाही को रोकने का प्रयास करने के लिये उग्र प्रदर्शन किया और बिल पेश न किया जाये इसके लिये धरने पर भी बैठ गये। अध्यक्ष महोदय ने उन्हें सस्पेंड करने के लिये मजबूर हो गये और मार्शल बुलाकर बाहर निकाल दिया गया। तब बिल को ज्यादातर सदस्यों ने पास कर दिया और विरोध केवल एक ही वोट आया।

जो पार्टियां इस बिल का विरोध कर रहे थे उनकी कुछ दलीलें थी कि आरक्षण में ही कुछ आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को दिया जाये, लेकिन इस तरह की दलील बिल को पास न करने का पर्याप्त कारण नहीं हो सकता। महिलायें इस दुनिया का आधा हिस्सा है, संसद और विधानसभा में एक तिहाई आरक्षण उनका अधिकार है। पंचायत चुनाव और निगम चुनावों में उन्हें पहले ही आरक्षण मिला हुआ है और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के आरक्षण के अभाव में कोई समस्या नहीं पैदा हो रही है।

लेकिन शंका अभी भी बनी हुई है कि कांग्रेस सरकार इस बिल को लोकसभा में पेश करने की तैयारी करेगी या नहीं। और यदि यह बिल पास हो जाता है, फिर समस्यायें समाप्त नहीं होंगी। मूलभूत आवश्यकता महिलाओं की सशक्तिकरण का है। केवल सीटों आरक्षण आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप उनके सशक्तिकरण के लिये पर्याप्त नहीं है। इसके अन्य क्षेत्रों में उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना होगा जैसे शिक्षा, रोजगार और सामाजिक उन्नति आदि के क्षेत्र में। कई देशों में, जैसे चीन में, पुरूषों के समान औरतों को शिक्षा, रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता आदि में समान अवसर के कारण औरतें सामाजिक रूप से काफी विकसित है। अत:, उनकी चिन्ताओं को संसद में महिला आरक्षण बिल से दूर नहीं किया जा सकता। सशक्तिकरण इस आरक्षण मूल उद्देश्य होना चाहिये, और हमें अन्य कारकों में भी समान अवसर देकर इन्हें सच्चे अर्थों में सशक्त बनाने की आवश्यकता है।

संसद और विधान सभा महिला आरक्षण कानून को पारित कर देती हैं तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह वर्ष स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा।

जयंत वर्मा

संसद और विधान सभाओं में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने वाला 108वां संविधान संशोधन विधेयक बहुत जद्दोजहद के बाद राज्यसभा में भारी बहुमत से पारित कर दिया गया। संविधान में यद्यपि अन्य पिछड़ा वर्ग, जिनमें यादव सहित अनेक जातियां आती हैं, के लिये आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी समाजवादी सुप्रीमो मुलायम सिंह, राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव तथा जनता दल युनाईटेड

के नेता शरद यादव महिला आरक्षण के भीतर भी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण की व्यवस्था की मांग को लेकर इसका विरोध कर रहे हैं। जद (यू)के नेता नितीश कुमार विधेयक के पक्ष में है तथा वे लोकसभा में भी विधेयक को बिना शर्त पारित करवाने के पक्षधर है। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बैनर्जी और बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने विधेयक का विरोध किया है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के लोकसभा में कुल 25 सदस्य है। सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु 55 सदस्यों के हस्ताक्षर जुटाना उनके के लिये कठिन होगा अत: वे लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत होने में प्रभावी अडंगेबाजी नहीं कर सकते।

लोकसभा में वर्तमान सत्र में यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो फिर देश की आधे से अधिक विधान सभाओं द्वारा विधेयक को पारित करने के बाद ही यह कानून बनेगा और फिर संसद में महिलाओं की संख्या कम से कम 181 तथा 28 राज्यों की विधान सभाओं में कुल 4109 सीटों में से 1370 पर महिलाएं चुनी जायेंगी। संसद और विधानसभाओं में वर्तमान में अनुसूचित जातियों और अन्य जनजातियों के लिये आरक्षित सीटों में भी एक तिहाई महिलाओं के लिये सुरक्षित हो जायेंगी। अन्य सीटों में महिलाओं के लिये आरक्षण का निर्धारण रोटेशन पद्धति से होगा तथा रोटेशन की प्रक्रिया के बाद में तय होगी। विगत 14 वर्षों से लंबित महिला आरक्षण विधेयक को कानून का रूप लेने में और व्यवहार में लागू किए जाने में अभी लगभग दो वर्ष का समय लगने की संभावना है।

भारत में लोकतंत्र सामंति मानसिकता से ग्रसित है। हर सांसद और विधायक को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इतना अधिक लाभ होता है कि वे उसे छोड़ना नहीं चाहते। विधायिका का मुख्य कार्य विधायी होता है। अंग्रेजी हुकूमत के लगभग 350 कानून संविधान के भाग - चार के प्रतिकूल होने के बावजूद संविधान प्रभावशील होने के 60 वर्ष बाद भी कायम हैं। बदलती सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी परिस्थितियों के अनुसार उनका अनुकूलन इसलिये नहीं हो रहा है कि विधायिका के सदस्यों की इस काम में कोई रूचि नहीं हैं तथा इसके लिये आवश्यक योग्यता भी अधिकांश में नहीं है। जनप्रतिनिधि अपने निर्वाचन क्षेत्र को अपनी जागीर समझते हैं इसीलिये उसे छोड़ना उन्हें स्वीकार नहीं। महिलाओं के लिये सीट सुरक्षित होते ही उनका लक्ष्य अपने ही परिवार कि किसी महिला सदस्य को अपनी जागीर सौंपने का होगा। अर्थात् प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्षेत्र पर उनका प्रभुत्व बना रहेगा। अनेक ऐसे प्रतिनिधि भी हैं, जिनके परिवार में उनके स्थान को भरने योग्य महिलाएं नहीं हैं। महिला आरक्षण विधेयक ऐसे जन-प्रतिनिधियों को नुकसानप्रद प्रतीत होता है। इसीलिये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही एक वर्ग इसके विरुद्ध है। पार्टी लाईन के विरुद्ध मुखर होने की हिम्मत नहीं होने के कारण वे जुबान नहीं खोलन रहे हैं।

अनेक राज्यों में त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं और नगर निकायों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था के बाद भारी संख्या में महिलाओं का नया नेतृत्व सार्वजनिक जीवन में आ रहा है। महिलाओं को इन बदलती परिस्थितियों के अनुरूप तैयार करने और सुशासन हेतु उनकी क्षमता विकसित करने के लिये सरकारी स्तर पर कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं। राजनीतिक दल भी इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। ऐसी दशा में महिला सशक्तिकरण द्वारा सुशासन कायम करने के जिस लक्ष्य को लेकर आरक्षण कानून लाया जा रहा है वह अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल नहीं होगा।

वाम दल भी विधायिका में महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण के लिये प्रतिवद्ध है। यदि संसद और विधान सभाएं इस कानून को पारित कर देती हैं तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह वर्ष स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा।

राष्ट्रपति के भाषण ने करोड़ों 'आम आदमी' को निराश किया

बजट सत्र की संध्या पर 22 फरवरी 2010 को माननीय राष्ट्रपति श्रीमति प्रतिभा पाटिल ने संसद के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति श्रीमति प्रतिभा पाटिल ने संबोधित किया। राष्ट्रपति का भाषण का एक विशेष महत्त्व रखती है, क्योंकि यह बड़े पैमाने पर जनहित में सरकार की नीति और भविष्य की योजनाओं को प्रभावित करता है। इस परिप्रेक्ष्य को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि, उन्होंने देश की करोड़ो 'आम आदमी' को निराश किया है। उनके भाषण में भविष्य में कहीं भी बेरोजगारी दूर करने तथा महँगाई रोकने की कहीं कोई भी संभावना नहीं दिखाई दी। इस बात की खुशी है कि महामहिम राष्ट्रपति ने हाल ही में घटित महाराष्ट्र के पुणे में आतंकवादी घटना में पीड़ित परिवारों के परिजनों को हार्दिक संवेदना अपने उक्त भाषण में व्यक्त किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल में चरम वामपंथी हिंसा के लिये चिन्ता व्यक्त की, परन्तु दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने सिलदा में हुये माओवादी आक्रमण जिसमें ईएफआर के 24 जवान शहीद हो गये थे, उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मौन रह गयी। दूसरे ही दिन, राष्ट्रपति के भाषण के पश्चात् मिडिया में यह खबर आती है कि राष्ट्रपति ने सिलदा की घटना पर संवेदना व्यक्त न करने में जो चूक हुई वह सरकार और उसकी सहयोगी तृणमूल कांग्रेस के दबाव के कारण हुआ। यदि यह सच है तो यह मामला वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा, राष्ट्रपति महोदया ने स्वयं ही कहा कि चमर वामपंथी को स्वीकार किया तथा इसे एक चिंता का विषय बताया। संप्रग सरकार देश में चरमपंथी वामपंथी हिंसा को रोकने में नाकाम रही है। इसके अलावा यह गरीब आदिवासियों की रक्षा करने में भी नाकाम रही है।

इसके अलावा, हमारे देश का आम आदमी को दो सबसे ज्वलंत समस्याओं अर्थात् - मूल्य वृद्धि और बेरोजगारी से त्रस्त है, लेकिन इन मुद्दों पर

राष्ट्रपति के भाषण में पर्याप्त रूप से नहीं दिखाई दिया। देशवासियों को कोई नई आशा भी नहीं दिखाई दी। जब उन्होंने खाद्य वस्तुओं और खाद्य उत्पादों पर बेलगाम बढ़ते दबाव पर नाखुशी जाहिर की, और अभूतपूर्व बढ़ती कीमतों को कम करके आंका और दिया गया सुझाव भी विश्वसनीय नहीं था और न ही बहुत प्रभावी था, अत: जनता को इससे बहुत बड़ी निराशा ही मिली। इस तरह से उनका यह कथन की सरकार आम आदमी की बेहतरी के लिये बढ़ती कीमतों को ध्यान लगाये हुय है, यह सच्चाई से दूर है। कीमतें तेजी से बढ़ रही है, खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फिति 20 के आंकड़े को लगभग छू रही है।

महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने यह बिल्कुल ठीक कहा कि – 'हमारी खाद्य सुरक्षा को कृषि उत्पादों को बढ़ाकर और उसके सहयोगी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर बनाकर किया जायेगा'। लेकिन दुर्भाग्यसे उनके दोनों ही प्रस्तावो को सरकार ने नजरअंदाज कर रखा है। तब प्रश्न यह उठता है कि 'क्या हमारी खाद्य सुरक्षा दांव पर लगी है?' इसका स्पष्ट जवाब हमें सरकार चाहिये।

जहां बढ़ती महंगाई का सवाल है, यह ध्यान देने योग्य है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में बजट से पूर्व ही बढ़ोतरी कर दी गयी, जो कि राष्ट्रपति के भाषण के तुरन्त बाद ही किया गया। हमें आश्चर्य है कि महामहिम राष्ट्रपति को इसका पूर्वानुमान था और ऐसी स्थिति में उनकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती थी। लेकिन तथ्य यह है कि, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ ही संकपूर्ण परिस्थिति में महँगाई की बाढ़ सी आ गई।

जहाँ तक दूसरे ज्वलंत मुद्दे बेरोजगारी के है राष्ट्रपति का भाषण हमें यह विश्वास दिलाने में असफल रहा है कि रोजगार के नये अवसर बढ़ाने के लिये सरकार ठोस कदम उठा रही है। सरकार लगातार वही अपना नरेगा का बीन बजा रही है, और जब नया बजट 2010–11 को पेश हुआ तो नरेगा में एक मामूली सी बढ़त का प्रायोजन रखा। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में लाखों बरोजगार युवाओं को रोजगार की गारण्टी देने में मौन रही।

हम भाषण के कुछ अन्य पहलुओं का उल्लेख कर सकते है। महामहिम राष्ट्रपति के भाषण में वर्तमान सत्र में महिला आरक्षण विधेयक को शीघ्र पारित होने का कोई सकारात्मक आश्वसन नहीं था, जबकि यह बिल मई 2008 से ही लम्बित है।

महामहिम राष्ट्रपति ने अपने भाषण में अल्पसंख्यकों को भर्ती में आरक्षण और ऋण उपलब्ध कराने में बढ़ावा देकर हमें खुश करने की कोशिश जरूर की है। लेकिन संप्रग सरकार की रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफारिशों को कहीं इंकित नहीं किया गया, जिसमें 15 प्रतिशत आरक्षण अल्पख्यकों के लिये, जिसमें 10 प्रतिशत मुस्लिम समुदाय के आक्षण की सिफारिश किया गया है। इस भूल से अल्पसंख्यकों में भारी निराशा हुई है।

संप्रग सरकार बच्चों के लिये उत्तम और मुफ्त शिक्षा के अधिकार के पालन पर पर अपना घमंड दिखा रही है, लेकिन इस कानून के क्रियावन्यन के लिये आवश्यक बुनियादी सुविधाओं हेतु बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा है। महामहिम राष्ट्रपति का भाषण इसे प्रकाश में लाने में असफल रहा।

बजट –किसानों की आत्महत्या की एक कहानी : फारवर्ड ब्लॉक

वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी द्वारा संसद में पेश किया गया केन्द्रीय बजट 2010–11 में भारत की विशाल गरीब जनता के लिये उद्देश्य नहीं था। बजट में कारपोरेटरों को टैक्सों में कई छूट दी गयी। यह बड़े दु:ख का विषय है कि सरकार देश की विशाल गरीब जनता के खिलाफ कार्य को अपना विकास बता रही है।

वित्त मंत्री ने चौकानें वाली घोषणा की कि केन्द्रीय करों में बढ़ोतरी के लिये पेट्रोलियम उत्पादों में 1 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। जिसका चौतरफा असर होगा। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें और बजट के कारण यूरिया की कीमत में बढ़ोतरी और उर्वरकों की सब्सिडी समाप्त करने से किसान खेती का काम छोड़ने के लिये विवश होंगे। बजट और कुछ नहीं किसानों की आत्महत्या की कहानी है। गरीब जनता और किसान इसके प्रत्यक्ष शिकार होंगे। कृषि ऋण में 2 प्रतिशत की छूट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किसानों की बदत्तर स्थिति को पटरी पर लाने का जो सुझाव स्वामी रंगनाथन कमिटी ने दिया उसे सरकार ने पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। कृषि क्षेत्र के अनाज की खरीद के लिये निजी क्षेत्र को खुली छूट देने से बड़े पैमाने पर कालाबाजारी और होर्डिंग बढ़ेगी।

सरकार 52,490 करोड़ रुपये की खाद्य सब्सिडी देने में घबरा रही है, लेकिन कारपोरेटरों को 4,18,096 करोड़ की करों में राहत पर चुप्पी साधे हुये है। इस बजट में कारपोरेटरों को 2.5 प्रतिशत की सर्चार्ज में छूट देकर उनकी कमाई को बढ़ाने का एक और रास्ता बना दिया।

रिजर्व बैंक को निजी बैंकों को बढ़ाने के लिये मंजुरी का निर्णय से पता चलता है कि सरकार वर्तमान की ध्रूवीय आर्थिक संकट से कोई सबक नहीं लेना चाहती। वह बैंक और बीमा क्षेत्र ही मुख्य कारक थे जिनके कारण तथाकथित विकसित देशों में मंदी आई।

सुरक्षा सौदा के करों में, पूंजीवादी लाभ के करों में, संपत्ति करों और कारपोरेट करों में बढ़ोतरी न करने की इच्छा यह दर्शाता है कि सरकार कारपोरेटरों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की कैदी है। निजी क्षेत्रों के विशेष आर्थिक क्षेत्र का विनिवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियामों में छूट यह सभी पूँजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कम्पनी निगमों की भलाई के लिये किया जा रहा है।

आज के समय में शहरी क्षेत्रों में नरेगा के विस्तार की आवयकता थी। शिक्षित और कार्य निपुण नौजवानों को रोजगार के लिये यहाँ कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। यह स्पष्ट है कि नरेगा बेरोजगारी की समस्या के लिये रामबाण सिद्ध हो सकता है।

निधियों का संवर्द्धन ग्रामीण विकास, भारत निर्माण, देश की कामगार जनता का 93 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिये सामाजिक सुरक्षा हेतु, महिला कृषि निधि और 13 प्रतिशत हिस्सा सड़क निर्माण हेतु लिया गया निर्णय स्वागत योग्य है।

किसान मर रहे हैं, कीमतें बढ़ रही है, नये गरीबों की संख्या में इजाफा हो रहा है।

जी. देवराजन

देश के सामने खाद्यानों की कीमतों में बढ़ोतरी सबसे महत्वपूर्ण इकलौता मुद्दा है। मूल्य वृद्धि के कारण न सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का बजट बल्कि मध्यम वर्गीय परिवारों का भी पारिवारिक बजट चरमाचरा गया है। बहुत सी आवश्यक वस्तुयें आम आदमी की पहुँच से करीब-करीब बाहर हो गयी है। ताजा आंकड़ें बताते हैं कि 6 फरवरी 2010 के अंत तक खाद्य स्फीति 18 प्रतिशत के करीब पहुँच गयी है। चीनी की कीमत करीब 60 प्रतिशत, दलहन 46 प्रतिशत, और आलू 53 प्रतिशत साल भर मेमं बढ़ गयी है। मूल्य वृद्धि जैसे वास्तविक मुद्दे का उल्लेख करने के एवं उस पर नियंत्रण के लिये तत्काल कदम उठाये जाने के बजाय सरकार आर्थिक विकास के आंकड़े एवं सांख्यिकी जाल प्रस्तुत कर रही है। जनता सिर्फ आंकड़ों से खुश नहीं होती है। बल्कि उसे उचित कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं की जरूरत हैं।

कांग्रेस नेतृत्व का एक तबका और अर्थशास्त्री का मानना है कि अर्थ व्यवस्थात विकसित हो रही है। खाद्यान्नों का उपभोग बढ़ रहा है जिसके कारण वर्तमान मूल्यवृद्धि है, लेकिन वे लोग सच्चाई पर पर्दा डाल रहे हैं। जबकि हमारा देश लंबे समय से कुपोषण एवं निम्न आय का दंश झेल रहा हैं। तीसरा राष्ट्रीय पारिवारिक एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50 प्रतिशत से अधिक बच्चे का कम वजन है एवं करीब 75 प्रतिशत महिलायें रक्ताल्पता की शिकार है। यह भी उजागर हुआ है कि प्रति व्यक्ति अनाज एवं दलहन की खपत 186 किलोग्राम वार्षिक 1991 से घटकर वर्ष 2000 में 166 किलोग्राम और 2007 में और घटकर 160 किलोग्राम नीचे आ गया है। आर्थिक मंदी के कारण 34 मिलिय से अधिक भारतीय 2008 में गरीबों की कतार में शामिल हो गये। केन्द्र सरकार का कहना है मूल्य वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है। लेकिन सच्चाई है कि जी-20 समूह के देशों की तुलना में भारत में वार्षिक उपभोक्ता मूल्य स्फीति सबसे अधिक है इसलिये मूल्य वृद्धि के कारण वैश्विक न होकर घरेलू हैं।

अब यह स्पष्ट है कि वायदा कारोबार वृहद पैमाने पर जमाखोरी एवं कृषि क्षेत्र में व्यापक संकट मूल्यवृद्धि के मुख्य कारण है। यह सब सरकारी नीतियों के कारण हो रहा है। कृषि क्षेत्र के संकट को ही देखे। बहु प्रचारित कृषि ऋण की माफी के बावजूद किसानों की आत्य हत्यायें जारी है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के मुताबिक वर्ष 1997 से 1,99,132 किसान आत्यहत्या कर चुके हैं। चिन्ता जनक पहलू है कि सिर्फ ष 2008 में 16,196 किसान अपनी जान गवां चुके हैं। इसका अर्थ है कि ऋण-माफी भी किसानों की जीवन रक्षा कर पाने में सफल नहीं हुई। अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 1991 से वर्ष 2001 तक करीब 8 मिलियन किसान अपनी खेती छोड़ चुके हैं। इसका अर्थ है कि प्रतिदिन औसत 2000 किसान अपनी खेती छोड़ रहे हैं। इस सवाल में अग्रगामी जनसंख्या रिपोर्ट की देश को प्रतीक्षा है। यह भी दूसरी चिन्ताजनक रिपोर्ट है कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने जाहिर किया है कि वर्ष 2009-10 में कृषि विकास 0.2 प्रतिशत है। यह वर्ष 2008-09 में 1.6 प्रतिशत का। आखिर सरकार किसानों के आत्म विश्वास को बचा पाने में क्यों विफल रही। मुक्त व्यापार संधि और विश्व व्यापार संगठन के कृषि पर समझौते के कारण कृषि उत्पादों का अंधाधुंध आयात के कारण घरेलू कृषि घाटे का सौदा बन गया जबकि देश प्रचुर कृषि उत्पाद कर सकता था। कृषि उपज की कीमतें दिनानुदिन बढ़ रही हैं। विगत 5-10 वर्षों के अन्दर अनेकों बार, बीज रासायनिक खाद, उर्जा, डीजल आदि की कीमतें बढ़ायी गयी। यह मूलरूप से बीज एवं खाद के कृषि कारोबार में बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश के कारण हुआ है। यहाँ तक की आजादी के 63 वर्षों के बाद तथा हरित क्रांति के दशकों बाद भी महज 40 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पर सिंचाई सुविधायें हो पायी है। अभी भी किसान इन्द्र देवता की कृपा पर ही खेती कर रहे हैं। हाल में सरकार ने युरिया की कीमतों में 10 प्रतिशत वृद्धि करने का फैसला लिया है। और खाद कीमतों को निर्धारित करने के लिये स्वतंत्र हाथों तथा नीजि उर्वरक उद्योग को खुदरा कीमत तय करने की छूट दे दी है। यह कृत्य घाव पर नमक छिड़कने जैसी है। इससे आगे भी कृषि संकट बढ़ेगा। यह कठोर सत्य है कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा हैं जबकि उपभोक्ता को बाध्य होकर ऊँची कीमतें अदा करनी पड़ रही है। फसलों की कटाई के बाद शीत भण्डारण सुविधाओं एवं यातायात की कमी के कारण भारत में करीब 58000 करोड़ रुपये का उपजा हुआ खाद्यान्न की चीजें बर्बाद हो जाती है। जैसा कि राबो इण्डिया की रिपोर्ट से जाहिर है।

सरकार ने स्वामीनाथन कमिटी द्वारा सुझाये गये किसानों को 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से किसानों को कृषि ऋण उपलब्ध कराये जाने के सुझाव को भी अनदेखी कर दिया है। अभी भी किसान नीजि साहूकारों के कर्ज के जाल में फँसे हुये हैं। इन्हीं कड़वी सच्चाई के कारण किसानों का खेती छोड़ने के लिये विवश होना पड़ रहा है।

सरकार बार-बार खाद्यान्नों पर बड़ी राशि-अनुदान के रूप में दिये जाने की बात दुहरा रही है। खाद्य सुरक्षा योजना का चालू नहीं करने का मुख्य

कारण खाद्यान्न अनुदान मद में कोष की अनुपलब्धता रही है। लेकिन सच्चाई इससे अलग है। वर्ष 2002-2010 में केन्द्र सरकार द्वारा खाद्यान्न अनुदान के मद में भारतीय खाद्य निग को 52,490 करोड़ रुपये दिया गया। दूसरा अर्थ है कि यह रकम भारतीय खाद्य निगम को किसानों से अनाज खरीदने, उसका भंडारण एवं परिवहन करने तथा जन वितरण प्रणाली योजना के तहत कम कीमतों पर उन्हें बेचने के लिये अनुदान स्वरूप दिया गया। केन्द्र द्वारा हाल में बजट और शासन की जवाबदेही पर कराये गये अध्ययन से प्रदर्शित होता है कि भारत में लक्षित 24 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 3 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूँ और चावल देने के लिये 84,339 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता है। बीपीएल परिवारों के खाद्यान्न अनुदान के लिये कुल 1,36,829 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। वर्तमान में सरकार 52,490 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। अत एव 84,339 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में चालू अनुदान 1 प्रतिशत से भी कम है। यह रकम सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 में दिये गये टैक्सों में रियायत का 1/5 वां हिस्सा है जो 4,18,096 करोड़ रुपये है। सरकार आम आदमी के लिये कैसे हो सकती है।

वर्तमान मूल्य वृद्धि के लिये वायदा कारोबार और जमाखोरी मुख्य कारण है। वर्ष 2009 में वस्तुओं का वायदा कारोबार 34.9 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की गयी थी। जनवरी से नवम्बर 2009 तक गत वर्ष में 46.65 लाख करोड़ रुपये की जगह कुल व्यापारका मूल्य 62.94 लाख करोड़ रुपये था। सरकार की नीति दस्तावेज बताते है कि वर्तमान के राष्ट्रीय चार एक्सचेंजों के अतिरिक्त 900 मंडिया वायदा कारोबार को प्रोत्साहित करने के लिये बढ़ायी जायेंगी। एक तरफ कीमत बढ़ रही हैं वहीं दूसरी तरफ सरकार मिल मालिकों एवं अन्य एजेन्सियों को घरेलू जरूरी भंडार को वगैर सोचे खाद्य जिन्सों को निर्यात की अनुमति प्रदान कर रही हैं। उदाहरण के तौर पर मार्च 2009 में सरकार ने घोषणा किया कि उसके पास पर्याप्त चीनी का भंडार है। हमारे देश को प्रति वर्ष 220 लाख टन चीनी की आवश्यकता है और देश में गत वर्ष 240 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ। अतएव हमने 12 रुपये प्रति किलो की दरे से 48 लाख टन चीनी का निर्यात कर दिया। लेकिन छः माह के बाद हमें बाध्य होकर 70 रुपये प्रति किलो की दर से 70 लाख टन चीनी का आयात करना पड़ा। इस तरह निजी चीनी मालिकों की आमदनी में भारी इजाफा हुआ। मोटे तौर आकलन बताते है कि देश के 33 चीनी कम्पनियों का लाभ में 2900 प्रतिशत की रिकार्ड बढ़ोतरी हुई जो वर्ष 2008 में 30 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2009 में 900 करोड़ रुपये से अधिक पहुँच गया। यह चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी की कहानी है। मूल्य वृद्धि के पीछे क्या कहानी है इसकी कल्पना हम सहज ही कर सकते हैं कि अरहर दालों, तेलों, अनाजों एवं दलहनों की कीमतों में वृद्धि के कारण क्या हैं। चालू पंचवर्षीय योजना की समाप्ति में मुश्किल से दो वर्ष शेष हैं। कृषि, खुदरा व्यापार, आवश्यक वस्तुओं में बेतहाशा वायदा कारोबार में बहुराष्ट्रीय निगमों प्रदेश से जन वितरण प्रणाली ध्वस्त, जमाखोरी एवं कालाबाजारी में भारी वृद्धि ये सब उदारीकरण अर्थ व्यवस्था के जुड़वा भाई है। इस नीति से बहुसंख्यक लोग अधिक गरीब हो गये एवं मुट्‌ठी भर लोग मालामाल हो गये। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं एशिया विकास बैंक का एक संयुक्त रिपोर्ट दर्शाता हैं कि भारत में 400 मिलियन से अधिक लोग भीषण गरीबी में हैं एवं प्रतिदिन 1.25 अमेरिकी डॉलर पर गुजर बसर कर रहे हैं। हम लोग यदि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की ताजा रिपोर्ट का भी अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा की भारत में 36 लाख लोगों की नौकरी छूट गई है। युनाईटेड नेशन इकानॉमिक एण्ड सोशल कमीशन फॉर एशिया एण्ड द पेसिफिक (यू.एन. एस.सी.ए.पी. - एशिया और प्रशांत क्षेत्र की संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक आयोग) ने आकलन किया है कि वर्ष 2009 में 13.6 मिलियन से अधिक लोग गरीब बन गये हैं। इसका अर्थ है कि वैश्विक संकट ने नये गरीबों का एक बड़ा वर्ग का सृजन कर दिया है।

सरकार महँगाई पर रोक लगाने में विफल है

नई दिल्ली: वामपंथी दलों ने महँगाई के मुद्दे पर मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ जबर्दस्त अभियान छेड़ते हुये 12 मार्च 2010 को दिल्ली की सड़कों पर लाल झण्डों का सैलाब उमड़ पड़ा था। देश में बिगड़ती आर्थिक स्थिति खासकर उपभोक्ता वस्तुओं की लगातार बढ़ रही कीमतों के खिलाफ भारत के चारों वामपंथी दलों - अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ने संयुक्त सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।

इन दलों के हजारों कार्यकर्ताओं ने हाथों में लाल झण्डा और बैनर लिये रामलीला मैदान में संसद भवन के निकट जंतर-मंतर तक सरकार विरोधी नारे लगाते हुये मार्च किया। वे उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें कम करने के लिये सरकार से तुरन्त कार्यवाही करने तथा पेट्रोल एवं डीजल के बढ़ाये गये मूल्य वापस लेने की मांग कर रहे थे।

पटेल चौक से लेकर राजीव चौक तक पूरा संसद मार्ग लाल झण्डों, बैनरों एवं तख्तियों से पटा था जिन पर सरकार विरोधी नारे लिखे हुये थे। संसद पर मार्च बैनर के तले प्रदर्शनकारियों ने रामलीला मैदान में शुरू करते हुये और विभिन्न मार्गों से गुजरते हुये सभास्थल तक मार्च किया। उनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी थीं।

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के महासचिव साथी देवब्रत बिश्वास, सीपीआई महासचिव साथी ए.बी. वर्द्धन, सीपीआईएम महासचिव साथी प्रकाश करात और आरएसपी महासचिव साथी टी.जे. चन्द्रचूड़न ने रैली को संबोधित करते हुये मनमोहन सिंह सरकार की आर्थिक नीतियों की कड़ी आलोचना की।

रैली को संबोधित करते हुये साथी देवब्रत बिश्वास ने कहा कि केन्द्र सरकार सिर्फ मूकदर्शक बनकर रह गयी है जबकि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें दिन

प्रतिदिन बेतहाशा बढ़ रही है। चावल, खाद्य तेल, अनाजों, सब्जियों, फलों और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें आमसान छू रही हैं तब केन्द्रीय सरकार इसके लिये सीधे राज्य सरकारों को आरोपित करते हुये रोज-बरोज विरोधाभाषी वक्तव्यों को जारी कर रही हैं। विभिन्न प्रकार के दालें एवं चीनी गरीब आदमी के पहुँच से बाहर हो चुकी है। देश के विभिन्न भागों में चीनी की कीमतें 50 रुपये प्रतिकिलो तक अप्रत्याशित रूप से बढ़ चुकी है। दाल की कीमत भी 80 रुपये प्रति किलो से 110 रुपये प्रतिकिलो तक पहुँच गयी है। बल्कि यह कहना बेहतर होगा कि खाद्य तेल तो मध्यम वर्ग के पहुँच के बाहर हो गया है। बाजारों में मौसमी सब्जियों की कीमतों में आग लगी है और काफी ऊँची कीमतों में बेची जा रही है। आखिर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में यह अप्रत्याशित वृद्धि क्यों हुई ?क्या देश में कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा या फसलों की महामारी हुई है, जिसने हमारी कृषि उपज को ध्वंस कर दिया है ?जवाब नकारात्मक है। फिर यह मूल्यवृद्धि क्यों ? जवाब सीधा सा है कि यह केन्द्रीय सरकार की खाद्य नीति जिसने बड़े पैमाने पर वायदा कारोबार एवं जमाखोरी की वजह से है।

खुदरा व्यापार में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और कार्पोरेट व्यापारिक घरानों के प्रवेश ने संविदा खेती के दरवाजे खोल दिये हैं और इसने फसलों की कटनी के पूर्व ही कृषि उत्पाद की कीमतों को निर्धारित करने का अवसर भी प्रदान कर दिया है। नीजि व्यापारी किसानों से उनके कृषि उत्पाद को खेतों से सीधे उनसे खरीदकर रहे हैं और उसे अपने गोदामों, माल गोदामों में जमा कर रहे हैं। फिर वे धीरे-धीरे अपनी मनमानी कीमत निर्धारित कर उन मालों को बाहर निकालते है। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे स्त्रोत से खरीदना भी चाहता है तो यह संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि ये वस्तुएं उन कारपोरेट घरानों के माल गोदामों में बंद हो चुकी होती है। सरकार इस परिस्थिति का आकलन करने में विफल रही है और इस परिस्थिति से निबटने के लिये उसने बड़ी मात्रा में स्टाक जमा करने के लिये कुछ भी नहीं किया है। यह दुर्भाग्य है कि देश ने सफलता पूर्वक हरित क्रांति का संचालन किया था लेकिन अब वही चावल और गेहूँ सहित आवश्यक वस्तुओं का आयात कर रही हैं। सरकार खाद्य स्फीति के आंकड़ें दर्शाने में व्यस्त है और इस समस्या को केन्द्र के पाले से राज्य सरकारों के पाले में फेंकने के लिये प्रयासरत है। लेकिन तथ्य यह है कि की मुद्रास्फीति का आंकड़ा जो भी हो उससे लोगों का कोई लेना-देना नहीं। उन्हें सिर्फ कम कीमत पर खाद्य पदार्थ चाहिये। यह भी एक विरोधाभास है कि इस अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि के बावजूद किसानों को इसका लाभ नहीं मिल रहा। इसका तात्पर्य है कि कारपोरेट घरानें और बिचौलियें ही उपभोक्ताओं और किसानों, जो कि इसका उत्पादन कर रहे हैं, का शोषण कर रहे हैं। कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिये सरकार कोई कदम नहीं उठा रही हैं और न ही किसानों को ऋण उपलब्ध कराने से संबंधित डॉ. स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की सुझावों पर भी अमल किया। सरकार का इस विफलता का लाभ आयातकों को मिल रहा है। खाद्य पदार्थों के निर्यात बन्द कर देने चाहिये। समय की मांग के अनुसार वितरण प्रणाली को पुनर्जीवित करके आवश्यक वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत किया जाना चाहिये।

साथी ए.बी. वर्द्धन ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर पूँजीपतियों के पक्ष में काम करने का आरोप लगाते हुये कहा कि उनकी सरकार कारपोरेट क्षेत्र का खुलेआम समर्थन कर रही है तथा विभिन्न तरीकों से उसे फायदा पहुँचा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री पूँजीपतियों के दलाल बन गये है।

साथी प्रकाश करात ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर कड़ा प्रहार करते हुये कहा हक सरकार महँगाई रोकने में विफल रही है। केन्द्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है तथा इसके लिये राज्य सरकारों को दोष दे रही है। उन्होंने कहा कि 8 अप्रैल का आंदोलन बड़ा जन आंदोलन होगा।

साथी अबनी रॉय ने कहा कि सरकार आम आदमी को भोजन मुहैया कराने में भी नाकाम रही है। यदि सरकार सभी को खाद्य सुरक्षा देने में नाकाम रहती है तो इस सरकार को बने रहने का कोई अर्थ नहीं है और इसे बदल देना चाहिये।

12 मार्च को महँगाई विरोधी वामपंथी पार्टियों के आंदोलन की गूंज संसद में सुनायी दी। जब चारों वाम दलों के सदस्यों ने मूल्यवृद्धि के मुद्दे पर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। जब सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिला तो वामदलों ने अन्य धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक पार्टियों जैसे तुलुगुदेशम पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ लोकसभा से वाकआउट किया। भाजपा, राष्ट्रीय जनतादल, बीजू जनता दल और बसपा ने पामपंथी पार्टियों का समर्थन किया।

दूसरे स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष की आवश्यकता : ऑल इण्डिया यूथ लीग

ऑल इण्डिया यूथ लीग की कर्नाटक राज्य कमिटी की बैठक 27 फरवरी 2010 को टी.यू.सी.सी. के कार्यालय बैंगलौर में किया गया।

मीटिंग में टी.यू.सी.सी. के राष्ट्रीय अध्यक्ष साथी जी.आर. शिवशंकर भी उपस्थित थे और मीटिंग का संचालन भी किया। मीटिंग को ऑल इण्डिया यूथ लीग महासचिव साथी संजय भट्टाचार्य और ऑल इण्डिया यूथ लीग तमिलनाडु राज्य कमिटी महासचिव साथी के. सुब्बुराज ने संबोधित किया।

सभा में बैंगलौर सिटी के अलावा कर्नाटक राज्य के अन्य जिलों से भी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कई प्रतिनिधियों ने संगठन के सांगठनिक कमियों पर प्रकाश डाला और इसे भविष्य में ठीक करने की मांग की। मीटिंग में ऑल इण्डिया यूथ लीग को तेज गति से विकास प्रदान करने के लिये एकमत रूप से कार्यक्रमों का निर्धारण किया गया। सभा को संबोधित करते हुये साथी संजय भट्टाचार्य अधिक से अधिक सांगठनिक गतिविधियों को जारी रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ऑल इण्डिया यूथ लीग को बनाने का कोई सूक्ष्म तरीका नहीं है, इसके लिये हमें जनता के बीच जाना होगा और जनसमस्याओं के निवारण हेतु संघर्ष करना होगा। युवाओं को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, भगत सिंह और उधम सिंह के बलिदानों से सबक लेना चाहिये। देश के नौजवानों को संघर्ष के लिये आगे आना चाहिये और साम्राज्यवादी ताकतों और उपनिवेशवादी ताकतों के चंगूल से देश को बचाना चाहिये। अब देश में दूसरे स्वतंत्रता संग्राम की आवश्यकता है ताकि देश की जनता को अच्छी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और अन्य दूसरी

जरूरतें मिल सके। साथी के. सुबुराज ने ऑल इण्डिया यूथ लीग की आज देश में आवश्यकता और उसकी वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर प्रकाश डाला।

कई चर्चाओं के बाद, सभा में निम्नलिखित प्रस्ताव ग्रहण किया गया:

1. 23 मार्च 2010 ऑल इण्डिया यूथ लीग शहीद-ए-आजम भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव की याद में सभी के रोजगार, शिक्षा आदि की मांग के साथ फ्रीडम पार्क, कोल्ड सेन्ट्रल जेल के सामने प्रदर्शन करेगा।
2. अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में इन्दिरा नगर अस्पताल (ईएसआई) के सामने अस्पताल में अच्छी व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिये प्रदर्शन करेगा।
3. 19 सितम्बर 2010 को ऑल इण्डिया यूथ लीग की राज्य सम्मेलन बैंगलोर किया जायेगा।
4. इस सभा में 21 सदस्यीय अनौपचारिक कमिटी का गठन किया गया ताकि ऑल इण्डिया यूथ लीग गतिविधियों को कर्नाटक राज्य में आगे बढ़ाया जा सके। कमिटी में साथी आर.पी. नरेन्द्र बाबु (अध्यक्ष), साथी येलप्पा, साथी जी. मुनिराजु, और साथी बी मंजूनाथ (उपाध्यक्ष), साथी एन. गोपाल सिंह (महासचिव), साथी मूगोप्पा, साथी सतीश कमार और साथी रविन्द्र (सचिव), साथी महेश, साथ वेंकटेश एन, साथी प्रसाद, साथी कृष्णा, साथी मंजुप्पा, साथी शशीधर राय, साथी कमार स्वामी, साथी ई.शिव कुमार और साथी अनथ मुर्थी (सदस्य), साथी रवि (कोषाध्यक्ष), साथी रंजीत और साथी उमेश चन्द्र सेट्टी सांगठनिक सचिव चयनित हुये।

सभी सदस्य उत्साह से भरे हुये थे, अत: ऑल इण्डिया यूथ लीग को कर्नाटक राज्य में विकास की संभावना है तथा भविष्य में उच्च क्षमतावान नेताओं की भी तलाश की जायेगी।

श्रीलंकन तमिलों की समस्याओं को तुरन्त हल किया जाये

ऑल इण्डिया यूथ लीग की तमिलनाडु राज्य कमिटी की बैठक 28 फरवरी 2010 को मदुरै में आयोजित किया गया।

मीटिंग में अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक तमिलनाडु राज्य कमिटी अध्यक्ष साथी वी.एस. नवामनि मुख्य अतिथि थे। मीटिंग में साथी एम. महेश्वरन, अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक तमिलनाडु राज्य कमिटी कोषाध्यक्ष, साथी पी.वी. लूईस राजा, महासचिव टी.यू.सी.सी. तमिलनाडु राज्य कमिटी के अलावा साथी पी.पी. इलायसुराजा साथी आनंद मुरूगन, साथी आर. कार्तिक, साथी के. पेरूमल भी उपस्थित थे।

साथी संजय भट्टाचार्य महासचिव ऑल इण्डिया यूथ लीग मुख्य वक्ता थे। ऑल इण्डिया यूथ लीग तमिलनाडु राज्य महासचिव साथी के. सुब्बुराज ने स्वागत भाषण दिया तथा राज्य की रिपोर्ट प्रस्तुत की।

तमिलनाडु के 12 जिलों में से 8 जिलों से प्रतिनिधियों ने मीटिंग में भाग लिया। मदुरै में सभा स्थल चारों और रंगीन पोस्टरों और बैनरों से सजा हुआ था। पूरा क्षेत्र ऐसा लग रहा था जैसे कोई त्यौहार मनाया जा रहा हो। सभा में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों ने बैज पहना हुआ था।

सभा में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया।

1. तमिलनाडु राज्य कमिटी सम्मेलन 12 सितम्बर 2010 को राजापलायम में किया जायेगा।
2. श्रीलंकन तमिलों की समस्याओं को तुरन्त हल करने के संदर्भ में धरना व प्रदर्शन किया जायेगा।
3. रोजगार दफ्तर में दर्ज 62 लाख बेरोजगारों के दर्ज नाम को तुरन्त सरकारी उद्यमों में भर्ती करने के लिये जिला मुख्यालयों पर धरना व प्रदर्शन किया जायेगा।

अग्रगामी किसान सभा की बैठक

अखिल हिन्द अग्रगामी किसान सभा की झारखण्ड राज्य इकाई ने धनबाद में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन 20 मार्च 2010 को किया। यह सम्मेलन ऐसे समय में जब देश का किसान आत्महत्या करने के लिये मजबूर हो रहा हो, उसके हित के लिये देश में कोई ठोस रणनीति नहीं है तो ऐसे में यह सम्मेलन एक विशेष महत्व रखता है।

सम्मेलन में किसानों व कृषि से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा हुयी।

महँगाई के विरोध में जूलूस निकाला

वाराणसी : लगातार बढ़ रही महँगाई के विरोध में 17 फरवरी 2010 को अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लाक की वाराणसी कमिटी ने ऑल इण्डिया यूथ

लीग महासचिव साथी संजय भट्टाचार्य की अगुवाई में हरिशचन्द्र घाट से एक जुलूस निकाला। कमिटी के लोगों ने मदनपुरा पोस्ट ऑफिस पर सभा भी की। मुख्य वक्ता के रूप में संजय भट्टाचार्य ने कहा कि देश में 77 प्रतिशत आवाम को रोज मात्र 12 रुपये आमदन में जीवन निर्वहन करना पड़ रहा है। ऐसी हालत में रोजमर्रा प्रयोग होने वाली वस्तुओं की कीमत जिस गति से बढ़ रही है, इससे गरीब जनता की स्थिति दयनीय हो गई है। यहाँ के किसानों को अपने अनाज का उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता है जबकि देश के बाहर से महंगे दामों पर खाद्यान्नों का आयात किया जाता है। जुलूस की मांगों में तत्काल सार्वजनिक वितरण को दुरूस्त किया जाये, वायदा कारोबार पर रोक लगाओ, जमाखोरों और कालाबाजारियों को गिरफ्तार किया जाए आदि प्रमुख थीं। अंत में मदनपुरा पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर को सभा स्थल में ही प्रधानमंत्री के नाम पत्रक दी गयी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्रीमती आश मुखर्जी, मोनिका विश्वास, जया मुखर्जी, पुष्पा चक्रवर्ती, संजय सारखेल, तामस विश्वास सहित अनेकों प्रदर्शनकारी थे। जुलूस का संचालन डॉ. रमाशंकर शास्त्री ने किया।

आर्थिक सर्वेक्षण में निराशाजनक तस्वीर

आर्थिक सर्वेक्षण 2009-10 साफ तौर भारत की अर्थव्यवस्था की धूमिल तस्वीर को दर्शाता है। अब यह सरकारी तौर पर स्वीकार कर लिया गया है कि गलत खाद्य नीति के कारण ही आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है।

सर्वेक्षण दर्शाता है कि खाद्य सुरक्षा का एक बहुत बड़ा बोझ है, जो कि राजकोष पर बहुत बड़ा दबाव डालेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार द्वारा दी जा रही खाद्य सुरक्षा हमारे कुल सकल घरेलू उत्पाद का 1 प्रतिशत से भी कम है। 2009-10 में, खाद्य सब्सिडी 52,490 करोड़ जो कि कारपोरेटरों को कारों में दी गयी छूट के पाँचवें हिस्से भी कम है, जो कि 4 करोड़ से भी ज्यादा है।

सरकार को राष्ट्र के समक्ष जवाब देना होगा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2009.10 से पता चलता है कि खाद्य वस्तुओं का विशाल भण्डार होने के बावजूद गेहूँ और चावल के दामों में वृद्धि क्यों हो रही है।

संघर्ष के मार्ग पर ट्रेड युनियनें : लाखों श्रमिकों ने दी न्यायिक गिरफ्तारी

ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर जेल भरो आन्दोलन और सत्याग्रह आन्दोलन में 5 मार्च 2010 को कई ट्रेड यूनियन संगठन की ओर से सभी राज्य राजधानियों, औद्योगिक शहरों, और कई जिला मुख्यालयों पर लगभग 10 लाख श्रमिकों ने भाग लिया।

यह 14 सितंबर 2009 को आयोजित ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रीय सम्मेलन पर लिया गया 5 सूत्री मांगों पर एक देशव्यापी आंदोलन आयोजित करने के लिये देश के संपूर्ण ट्रेड यूनियन आंदोलन को एक मंच पर लेकर आयी। इसमें सम्मिलित संगठन थे : टीयूसीसी, सीआईटीयू, एआईटीयूसी, आईएनटीयूसी, बीएमएस, एचएमएस, एआईसीसीटीयू, एआईयूटीसी और यूटीयूसी। यह विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से बढ़ती महँगाई, श्रम कानूनों का उल्लंघन, लाभप्रद सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश, बेरोजगारी और किसानों और असंगठित मजदूरों के लिये राष्ट्रीय कल्याण समिति के गठन में सरकार की नाकामयाबी के कारण।

नई दिल्ली के संसद मार्ग पर जंतर मंतर पर हजारों मजदूर बैनर हवा में लहराते हुये और घोषणापत्र के साथ कानून अवज्ञा आन्दोलन कार्यक्रम में शामिल हुये। साथी एस.पी. तिवारी (टीयूसीसी), साथी डॉ. एम.के. पंधे और मोहम्मद अमीन (सीटू), साथी गुरूदास दासगुप्ता (एआईटीयूसी), साथी डॉ. संजीवा रेड्डी (इंटक), साथी उमरावमल पुरोहित (एचएमएस), साथी आर.वी. सुब्बाराव राव (बीएमएस), साथी अबानी रॉय (यूटीयूसी), साथी आर.के. शर्मा (एआईयूटीयूसी) और साथी स्वपन मुखर्जी (एआईसीसीटीयू) कार्यक्र में सबसे आगे थे। 10,000 से भी मजदूरों ने केन्द्रीय यूनियन संगठनों के नेताओं ने कोर्ट गिरफ्तारी दी।

मजदूरों को संबोधित करते हुये यूनियन के नेताओं ने कहा कि इतिहास में यह पहला मौका है जब सभी ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त रूप से श्रमिकों हेतु सत्याग्रह आन्दोलन किया जो देशभर में एक बड़े पैमाने पर किया गया।

महँगाई घटाओ, लाभ प्रदत्त सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश बंद करो। हाथों में झण्डा, घोषणापत्र आदि लिये, आंदोलनकारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में जोर-जोर से नारे लगाये, श्रम कानूनों को लागू करो, और राष्ट्र का निर्माण करो, असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा दो, आदि नारे लगाये।

केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संठनों ने अप्रत्यक्ष करो, यूरिया और अन्य उर्वरकों की सब्सिडी में भारी कटौती के लिये और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में भारी वृद्धि पर काफी गहरा शोक व्यक्त किया। इन संगठनों ने यह भी निर्णय लिया गया है वे वे सभी पुनः शीघ्र ही मिलेंगे और आंदोलन तेज करने के लिये कार्यक्रम तैयार करेंगे।

5 मार्च 2010 को जेल भरो आान्दोलन और सत्याग्रह आन्दोलन को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिये सभी ट्रेड यूनियनों ने श्रमिकों के लिये अपनी शुभकामनायें दी वे अगले आगामी सघर्ष के लिये तैयार रहने का आह्वान किया।

उद्यमियों को छात्रों का शैक्षणिक शोषण करने का पर्याप्त अवसर मिल रहा है : ए.आई.एस.बी.

ऑल इण्डिया स्टूडेन्ट्स ब्लॉक का सांगठनिक वर्कशाप का आयोजन मुजफ्फरपुर, बिहार में 23 से 26 फरवरी 2010 तक किया गया। वर्कशाप व अन्य सभाओं की अध्यक्षता ऑल इण्डिया स्टूडेन्ट्स ब्लॉक के अध्यक्ष साथी अलि इमरान रम्ज, विधायक ने किया। अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक महासचिव साथी देवब्रत बिश्वास वर्कशाप में उपस्थित थे।

वर्कशाप में बड़े पैमाने पर शैक्षणिक अधिकारों का दमन, निजीकरण और व्यवसायिकरण के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाने की सांगठनिक कमियों पर गहनता से चर्चा किया गया। वर्कशाप में पाँच राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

गहनता से चर्चा के पश्चात् एकमत रूप से निम्नलिखित निर्णय लिये गये:

शिक्षा के निजीकरण और व्यवसायीकरण के खिलाफ राष्ट्र-व्यापि आन्दोलन करने का निर्णय लिया गया। संप्रग सरकार शिक्षा के व्यवसायिकरण को खूब बढ़ावा दे रही है और सार्वभौमिक रूप से उत्तम शिक्षा प्रदान करने की नैतिक जिम्मेदारी से आँखे मूंद ली है। निजीक्षेत्र में विश्वविद्यालयों और पेशेवर विद्यालयों की बाढ़ सी आ गई और अनियंत्रित रूप से अनगिनत रूप से फैलते ही जा रही है। मुनाफाखोरी शिक्षा व्यवस्था में पूँजिपतियों द्वारा प्रतिभाशाली गरीब छात्रों का शोषण किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के स्टूडेन्ट्स यूनियनों द्वारा नैतिक जिम्मेदारी से दूर कर लेने और छात्रों का शैक्षणिक अधिकारों के मामले में भागीदारी की अनदेखी करने से उद्यमियों को छात्रों का शैक्षणिक शोषण करने का पर्याप्त अवसर मिल रहा है। अत:, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के विचारों से प्रेरित छात्र संगठन, ऑल इण्डिया स्टूडेन्ट्स ब्लॉक ने सरकार की इन नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने का निर्णय लिया है। ऑल इण्डिया स्टूडेन्ट्स ब्लॉक 2 मई से 8 मई 2010 तक यूनिट स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय आन्दोलन करेगी।

आन्दोलन के पहले चरण के समापन के रूप में छात्रों का एक 'महाधरना का आयोजन 20 मई 2010 को किया जायेगा। महाधरना में कम से कम 1000 छात्रों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। महाधरना के संदेश का प्रचार करने हेतु एवं सांगठनिक गतिविधियों को कारगर बनाने हेतु ऑल इण्डिया स्टूडेन्ट्स ब्लॉक की राज्य कमिटियों की बैठक एवं उनके पर्यवेक्षक निम्न प्रकार है

झारखण्ड	15 अप्रैल 2010	साथी अलि इमरान रम्ज, विधायक ;
बिहार	12 अप्रैल 2010	साथी अलि इमरान रम्ज, विधायक ;
उत्तर प्रदेश	18 अप्रैल 2010	साथी अलि इमरान रम्ज, विधायक ;
आसाम	28 मार्च 2010	साथी देवब्रत रॉय और सुदीप बैनर्जी ;
त्रिपुरा	31 मार्च 2010	साथी देवब्रत रॉय और सुदीप बैनर्जी ;
उड़ीसा	15 अप्रैल 2010	साथी देवब्रत रॉय और सुदीप बैनर्जी ;
मध्य प्रदेश	25 मार्च 2010	साथी अमरेश कुमार;
महाराष्ट्र	20 मार्च 2010	साथी अमरेश कुमार ;
दिल्ली	18 मार्च	2010 साथी अमरेश कुमार;
प. बंगाल	20 मार्च 2010	साथी अमरेश कुमार;

ऑल इण्डिया स्टूडेन्ट्स ब्लॉक का अगला राष्ट्रीय सम्मेलन 26, 27 व 28 दिसम्बर 2010 को किया जायेगा। सम्मेलन स्थल का निर्णय बाद में किया जायेगा। निचले सम्मेलनों की सारणी निम्नलिखित है:

यूनिट सम्मेलन	जून-जुलाई 2010
जोनल/जिला सम्मेलन	अगस्त-सितम्बर 2010
राज्य सम्मेलन	नवम्बर 2010

ए.आई.एस.बी. की मध्य प्रदेश में बैठक

ऑल इण्डिया स्टूडेन्ट्स ब्लॉक की मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में छात्रों की बैठक हुई। जिसमें ए.आई.एस.बी. के महासचिव साथी अमरेश कुमार और अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक मध्य प्रदेश राज्य कमिटी महासचिव साथी राम अवतार पचौरी भी उपस्थित थे।

बैठक में सभी की सहमति से एकमत रूप से एक संयोजक कमिटी का गठन किया गया, जिसके संयोजक नरेन्द्र सिकरवार और उपसंयोजक विक्रम सिंह भदौरिया को चुना गया।

ऑल इण्डिया यूथ लीग ने शहीद-ए-आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू का शहादत दिवस मनाया

त्रिपुरा : शहीद-ए-आजम भगत सिंह, राजगुरू व सुखदेव के शहादत दिवस पर 23 मार्च को त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में भगत सिंह की मूर्ति का अनावरण किया गया गया। सभा का आयोजन ऑल इण्डिया यूथ लीग ने किया, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सिपाहियों, आजाद हिन्द फौज के पुराने सिपाहियों को आमन्त्रित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक महासचिव साथी देवब्रत बिश्वास जी थे।

साथी देवब्रत बिश्वास ने अपने संबोधन में इतिहास के झरोखे में झांकते हुये वर्तमान की तुलना की तथा यह बताया कि भले ही भारत से अंग्रेज भारत छोड़कर चले गये हो लेकिन आज भी वे भारत को लूटने खसोटने का कार्य अपने उप-निवेश के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे है। हमारे नौजवानों में उपभोक्ता वादी परंपराओं का विकसित कर तरह-तरह ढंग से हमारा शोषण कर रहे हैं। साम्राज्यवादी शक्तियां पहले हमें प्रत्यक्ष रूप से शोषित करती थी और अप्रत्यक्ष रूप से शोषित कर रही है। आज देश की हालत जो 1947 से पहले थी उससे भी बदत्तर होती हा रही है। देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का बोलबाला है, आज देश की जनता बेरोजगारी और भूखमरी से दमतोड़ रही है तो वहीं देश में पूँजीपतियों की बहार आई हुई है।

जो लड़ाई भगत सिंह और सुभाष चन्द्र बोस ने इन साम्राज्यवादी ताकतों के साथ लड़ी थी आज इन साम्राज्यवादी ताकतों से लड़ने की प्रासंगिकता पहले से अधिक है। हिन्दुस्तान में असली क्रान्ति की लड़ाई लड़नी अभी बाकी है, जिसके लिये मैं देश के नौजवानों से अपील करता हूँ कि वे आगे आयें और इन साम्राज्यवादी ताकतों से लड़ने का प्रण लें।

नई दिल्ली: ऑल इण्डिया यूथ की मंगोल पुरी इकाई ने मंगोल पुरी के पी-ब्लॉक में शहीदों की शहादत दिवस पर मशालें जलाकर तथा मोबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दी। मंगोल पुरी वासियों के लिये यह एक अनोखा ही दृश्य था, जिसके सभी समुदाय से एकत्रित लोगों ने ऑल इण्डिया यूथ लीग के कार्यकर्ताओं की सराहना भी की। उक्त कार्यक्रम में सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का आरम्भ यूथ लीग मंगोल पुरी के महासचिव साथी परशुराम ने दीप जलाकर की तथा साथी पंकज और मनोज ने दो छोरों पर मशालें जलाकर नारे लगाये, तत्पश्चात सभी नौजवानों ने बारी-बारी से मोमबत्तियां जलाई। मंगोल पुरी का छठ पार्क रात में मशालों ओर मोमबत्तियों की लौ के कारण अलग रूप में छटा बिखेरे हुये था और आने-जाने वालों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था जिसे राहगीर से लेकर घरों से निकलकर लोगों ने इस कार्यक्रम को सराहा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की केन्द्रीय कमिटी के सदस्य साथी अमरेश कुमार भी उपस्थित थे। साथी अमरेश कुमार और अशोक कुमार ने भगत सिंह के पोस्टर लोगों में वितरित करते हुये ऑल इण्डिया यूथ लीग के भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों में बढ़-चढ़ कर सहयोग देने की अपील की।

बिहार : पटना सिटी में एक संयुक्त कार्यक्रम में ऑल इण्डिया यूथ लीग एवं अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के सदस्यों ने भाग लिया। अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के राज्य कमिटी सदस्य साथी श्रीनारायण सिंह ने सभा को संबोधित किया और कहा कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरू की यह कुर्बानी जिस उद्देश्य से थी वह आज भी अधूरा है, उसकी प्रासंगिकता आज भी है। आज देश में एक और क्रान्ति की आवश्यकता है।

इसके अलावा पटना के ही फूलबारी में शहीदों की अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जिसमें मुख्य रूप से दिनेश सिंह, प्रभु राम सिंह डांगी तथा रामबाबु सिंह ने संबोधित किया।

ऑल इण्डिया यूथ लीग की ओर से शिवहर जिला में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता मेहीलाल साहनी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता थे नागेन्द्र ठाकुर, धीरज कुमार सिंह, वासुदेव राम, रामबाबु सिंह सहित दर्जनों लोगों ने अपने विचार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की केन्द्रीय कमिटी सदस्य साथी वकील ठाकुर तथा मुजफ्फरपुर जिला कमिटी सदस्य साथी हबीब अंसारी मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम का संचालन दिल्ली प्रदेश महासचिव ऑल इण्डिया यूथ लीग साथी धमेन्द्र कुमार एडवोकेट ने किया।

मुजफ्फरपुर में पार्टी कार्यालय मैठी चौक पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसे मुख्य रूप से मुशेश्वर राय, जननारायण राय, चन्देश्वर सिंह, नरेश राम (फारवर्ड ब्लॉक प्रखण्ड अध्यक्ष) ने संबोधित किया।

तमिलनाडु : तमिलनाडु में ऑल इण्डिया यूथ लीग ने शहीद दिवस पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का संचालन लीग के तमिलनाडु राज्य महासचिव साथी सुबुराज कादीरवन ने किया। कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

ऐतिहासिक मजदूर दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया जाये : टी.यू.सी.सी.

टी.यू.सी.सी. की केन्द्रीय कमिटी की बैठक 13 मार्च 2010 को केन्द्रीय कार्यालय, नई दिल्ली में हुई। टी.यू.सी.सी. के उपाध्यक्ष साथी सरल देव ने मीटिंग की अध्यक्षता की।

मीटिंग में देश के कामगार मजदूरों से जुड़े मुद्दों पर एकमत रूप से चर्चा की गयी। सदस्यों ने टी.यू.सी.सी. के सम्मेलनों, सांगठनिक बल, भविष्य की योजनाओं और टी.यू.सी.सी. और अन्य संगठनों द्वारा आयोजित संयुक्त कार्यक्रम पर पर विशेष रूप से चर्चा किया।

मीटिंग में नेशनल सर्वे सेम्पल ऑर्गेनाइजेशन और वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट पर विशेष रूप से चर्चा किया गया। जिसमें यह दर्शाया गया है कि एक्सपोर्ट से जुड़े उद्योगों और इसके सामान्य उद्योगों से जुड़े लगभग 6.7 लाख मजदूरों की नौकरी 1 अप्रैल 2009 से अब तक छीन चुकी है, इसके अलावा गारमेन्ट, चमड़ा, ज्वैलरी, हीरा, रियल एस्टेट और अन्य संगठित उद्योगों के 74 लाख मजदूर भी इसी प्रकार प्रभावित हुये है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अनुसार 2009 में दुनिया में लगभग 212 लाख लोगों की नौकरी छीन चुकी है। आई एम एफ ने भी भविष्यवाणी की है कि वर्ष 2010 में भी यह जारी रहेगी और विकसित देशों और यूरोपिय देशा में लगभग 3 लाख और बेरोजगार होंगे।

इस द्वितीय ध्रूवीय आर्थिक मंदी से लाखों लोग गरीबी की मार्ग पर आ गये, बच्चों को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, जीवन गुजारा उनके लिये दुभर हो गया है। इस आर्थिक मंदी के अलावा आसमान छूती महँगाई ने देश की आम जनता की कमर तोड़ दी। सरकार को जहाँ जनता को खाद्य सुरक्षा देनी चाहिये, उन्हें खाद्य में राहत देने चाहिये और जीवन गुजर के लिये आवश्यक रोजमर्रा की सुविधाओं का इंतजाम करना चाहिये वहां सरकार ने चुप्पी साथ रखी हैं और कालाबाजारों, पूँजीपतियों को बाजार पर कब्जा देकर लूट की पूरी आजादी दे दी है।

इसके अलावा मीटिंग में निजी क्षेत्रों, वित्तीय संस्थानों में हो रहे श्रम कानूनों के उल्लंघन पर भी चर्चा की गयी। मीटिंग में एकमत रूप से यह प्रस्ताव ग्रहण किया गया कि: वर्ष 2010, रणनीतिक रूप से हमारे लिये बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ हमें अपने सम्मेलन ही आयोजित नहीं करने वरन् हमारी मजदूर हित के लिये संघर्ष को लगातार जारी रखना है।

हमे वर्ष 2010 में कुछ लक्ष्य निर्धारित करने होंगे, जिन पर हमें ईमानदारी पूर्वक कार्य करने होंगे।

कार्यक्रम:

1. 1 मई 2010 – ऐतिहासिक मजदूर दिवस पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाया जायेगा। मशाल जुलूस, जनसभा, गेट मीटिंग आदि का आयोजन प्रत्येक इकाई करेगी।
2. मई माह में असंगठित मजदूरों के हित की लड़ाई का होगा तथा जगह-जगह इसके लिये शिविरों का आयोजन किया जायेगा।
3. राष्ट्रीय स्तर पर तथा राज्य स्तर पर अलग बोर्ड की स्थापना के लिये रैली, धरना का आयोजन जून 2010 माह में देश भर में किया जायेगा।
4. टी.यू.सी.सी. की केन्द्रीय कमिटी की बैठक 25 जून को भोपाल में कार्यक्रमों की समीक्षा के लिये किया जायेगा।

प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र

सेवा में, दिनांक 16 मार्च 2010

डॉ. मनमोहन सिंह जी,
माननीय प्रधानमंत्री,
भारत सरकार, नई दिल्ली

विषय : केन्द्र सरकार द्वारा पारित किये गये जन-विरोधी एवं राष्ट्र विरोधी शुगरकेन प्रेसमड नियन्त्रण निरस्तिकरण आदेश दिनांक 07 सितम्बर 2006 को तत्काल प्रभाव से वापस कराकर शुगर केन प्रेसमड केन्ट्रोल आर्डर 1959 को कृषकहित एवं राष्ट्रहित में अविलम्ब पुनर्जीवित कराये जाने के संबंध में।

माननीय डॉ. मनमोहन सिंह जी,

आपके लिए सादर अवगत कराना चाहूँगा कि चीनी मिलों में गन्ने की पिराई के उपरान्त सह-उत्पाद के रूप में प्रेसमड उत्पादित होता है जो 04 प्रतिशत निकलता है। प्रेसमड का प्रयोग किसानों द्वारा जैविक खाद के रूप में खेतों में किया जाता है जिससे खेतों की उर्वरा शक्ति स्थिर बनी रहती है। क्योंकि इसमें नाईट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर, कैल्शियम के साथ ही अन्य कई सूक्ष्म तत्व भी पाये जाते है।

वर्तमान समय में जबकि कृषि का यन्त्रीकरण हो रहा है जिसमें अधिकांश कृषकों द्वारा आधुनिक यन्त्रों से खेती करने के कारण धीरे-धीरे पशुओं की कमी होती जा रही है, जिससे लगातार गोबर की खाद की अनुपलब्धता के कारण खेतों में कार्बनिक पदार्थों का स्तर दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। जिसके कारण उर्वरक उपयोग क्षमता भी घट रही है, जिससे फसलों की उत्पादिकता लगातार गिरती जा रही है, जिसके फलस्वरूप देश में खाद्यान्न संकट भयानक रूप से गहराता जा रहा है।

ऐसी विषम परिस्थितियों में किसानों के खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने वाले इस प्राकृतिक सह उत्पाद (प्रेसमड) को केन्द्र सरकार ने निजी चीनी मिल मालिकों से सांठ-गांठ करके किसानों से छीनने का घृणित षड्यन्त्र किया है। जिसका जीता जागता उदाहरण है कि शुगरकेन कन्ट्रोल आर्डर 1959, जो चीनी मिलों को बाध्य करता था, कि वह इस सह-उत्पाद (प्रेसमड) को किसानों को जैविक खाद के रूप में उलपब्ध करायें अथवा ऐसी फर्म को बेचे जो इस सह-उत्पाद को जैविक खाद के रूप में परिवर्तित करके किसानों के खेतों तक पहुँचायें और इसका उल्लंघन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने का प्रावधान था और शुगरकेन प्रेसमड कन्ट्रोल आर्डर 1959 जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में प्रभावी था, किन्तु उक्त नियन्त्रण आदेश को केन्द्र सरकार ने दिनांक 07 सितम्बर 2006 को निरस्त करके यह साबित कर दिया है कि वह उद्योगपतियों हितैषी है व किसानों की विरोधी है जिससे सरकार की हरित क्रान्ति लाने की प्रतिवद्धता मात्र छल बल प्रमाणित होता है। शुगरकेन प्रेसमड कन्ट्रोल आर्डर 1959 निरस्त होने के कारण वर्तमान समय में इस महत्त्वपूर्ण सह-उत्पाद को पूरे देश में ईंट भट्टों, लौह भट्टियों एवं उपले उद्योग में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है जिसके कारण इस सह-उत्पाद का मूल्य कई गुणा बढ़ने से किसानों की क्रय क्षमता से बाहर हो गया है।

अत: आपसे अनुरोध है कि केन्द्र सरकार द्वारा पारित किये गये कृषक विरोधी जन-विरोधी एवं राष्ट्र विरोधी शुगरकेन प्रेसमड नियन्त्रण निरस्तीकरण आदेश दिनांक 7 सितम्बर 2006 को तत्काल प्रभाव से वापस कराने तथा कृषकहित, जनहित एवं राष्ट्रहित में शुगरकेन प्रेसमड कन्ट्रोल आर्डर 1959 को अविलम्ब पुनर्जीवित कराने का कष्ट करें जिससे पूर्व की ही भांति प्रेसमड किसानों को उपलब्ध हो सके और कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार हो सके तथा खाद्यान्न संकट से जूझ रहे राष्ट्र को राहत प्राप्त हो सके।

सधन्यवाद

!! जय हिन्द !!

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का बीजिंग दौरा

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा आयोजित 'चीन की ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन' विषय पर सेमिनार के लिये निमंत्रण पर अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक का तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने 8 मार्च से 19 मार्च तक चीन का दौरा किया। प्रतिनिधि मंडल में साथी डॉ. बरूण मुखर्जी, सांसद एवं पार्टी स्कूल प्रमुख, साथी पी.वी. कादिरवन, महासचिव अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक तमिलनाडु राज्य कमिटी और साथी जनार्दन पाण्डेय, महासचिव अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक झारखण्ड राज्य कमिटी थे। प्रतिनिधि मंडल के मुखिया डॉ. बरूण मुखर्जी थे। इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में दक्षिण एशिया की सात देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भुटान, श्रीलंका और मालदिव शामिल थे।

दो मुख्य मुद्दों पर बहस के अलावा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के अनुभवी और वरिष्ठ नेता ने पर्यावरण परिवर्तन पर भी चर्चा किया, तथा उन्होंने इसके लिये बिजींग, सींडर और संघाई क्षेत्र का दौरा भी कराया। इसके अलावा चीन में चौतरफा शहरी और ग्रामीण जमीनी विकास क दर्शाने के लिये क्षेत्रों का दौरा भी कराया। इस प्रकार की यात्रा दक्षिण एशिया की राजनीतिक पार्टियों के मध्य एक मधूर और दोस्ताना व्यवहार के लिये काबिले तारीफ है।

मध्य प्रदेश में किसान सभा का गठन

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की मध्य प्रदेश राज्य कमिटी का बैठक 4 मार्च 2010 को भोपाल के हिन्दी भवन की गयी। जिसकी अध्यक्षता साथी श्याम सुन्दर बिश्नोई ने की। सभा में राज्य प्रभारी साथी बीर सिंह महतो व साथी एस.पी. तिवारी भी उपस्थित थे। आयोजित सभा में प्रदेश भर से अनेक जिलों से प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

बैठक में देश प्रेम दिवस 23 जनवरी की सभी मुख्यालयों पर पार्टी द्वारा धूम-धाम से मनाये जाने पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी तथा पिछले दिनों संपन्न हुये त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के परिणामों की समीक्षा की गई। इसके अलावा 12 मार्च दिल्ली चलो रैली को सफल बनाने के लिये विशेष कार्यभारत पदाधिकारियों को सौंपा गया। इसके अलावा निम्नलिखित निर्णय लिया गया।

1. अप्रैल माह में सभी जिला मुख्यालयों पर महँगाई के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया जायेगा।
2. मई माह में भोपाल में महारैली का आयोजन किया जायेगा।
3. किसानों को दी जाने वाली रियायतों को शासन द्वारा वापस लेने के विरोध में एवं किसान विरोधी सुनियोजित षड्यन्त्र के खिलाफ प्रदर्शन किया जायेगा एवं पर्दाफाश किया जायेगा। जिसके लिये अग्रगामी किसान सभा की कमिटी का गठन किया गया, जो इस प्रकार है:

श्याम सुन्दर बिश्नोई (संयोजक) एवं सदस्य - राम प्रसाद सूर्या, नरेन्द्र पाण्डेय, करूणा प्रसाद मिश्र, बलधारी पाल, ऋषिमोहन शर्मा और अमरजीत यादव